

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ (राज.)

प्रकरण संख्या— 03/2020

निर्णय दिनांक —10.06.2020

शम्भुलाल पिता चतरभुज जाति जाट उम्र वयस्क निवासी फलवा निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा राज0

— प्रार्थी

// बनाम //

1. भंवरलाल पिता भेरूलाल जाति जाट उम्र वयस्क निवासी फलवा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
2. भंवरलाल पिता गौतम जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी फलवा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
3. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फलवा जरिये प्रधानाध्यापक फलवा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
4. जल स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग निम्बाहेडा जरिये अधिशाषी अभियन्ता महोदय जल स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा फलवा पटवार हल्का फलवा तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 249 की आराजी नं0 1037/387 रकबा 0.0200 हैक्टेयर गे0मु0 बाडाकी पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 200/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा फलवा पटवार हल्का फलवा तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 249 की आराजी नं0 1037/387 रकबा 0.0200 हैक्टेयर गे0मु0 बाडा की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढी करे। पत्थरगढी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 10.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

